



# पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की सीमा निर्धारित की

**राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना होगा कि राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये विधेयक को स्वीकार करें या अस्वीकार**

-डॉ. सतीश मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-

नई दिल्ली, 12 अप्रैल। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अधूरे पूर्व कदम उठाते हुए, पहली बार यह निर्धारित कर दिया है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजे गये विधेयकों पर, राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना होगा। इस अवधि की गणना विधेयक की प्राप्ति की तिथि से की जायेगी।

शीर्ष अदालत ने संविधान में प्रतिपादित देश के संघीय ढाँचे के सिद्धान्तों को परिवर्तित किये जाने को रेखांकित किया तथा कहा, “हम यह मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा पर अमल करना चाहिए सभी हैं। --- तथा यह तय करते हैं कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे गये विधेयकों पर तीन महीने की अवधि में निर्णय ले लें। इस अवधि की गणना, इन विधेयकों की प्राप्ति की तिथि से की जायेगी।”

अदालत ने कहा, “इस अवधि से अधिक समय लाने की सिंहति में, समूचित कराण संबंधित राज्य को बताने होंगे। राज्यों के लिये यही यह जरूरी होगा कि वे उन प्रस्तावों के उत्तर दें। इस कार्य में पूरा सहयोग करें, जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार के सुझावों पर शीर्ष ही विचार करें।”

- अगर, तीन मह में यह निर्णय नहीं होता है तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि इस मामले पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाये और न्यायालय से समाधान मांगे।
- ये तीन महीने उस दिन से शुरू होंगे, जिस दिन राष्ट्रपति को, राज्य सरकार से विधेयक अधिकृत रूप से प्राप्त होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में, राज्यपाल को भी प्रतिबंधित किया है कि जब विधानसभा से पारित विधेयक उनके पास आता है, उस दिन से तीन महीने में राज्यपाल को विधेयक के बारे में निर्णय लेना होगा।
- अगर, दूसरी बार विधानसभा विधेयक को पारित करके राज्यपाल को भेजे तो राज्यपाल के पास यह विकल्प नहीं होगा कि वे विधेयक को राष्ट्रपति को भेजने में विलम्ब करें।
- सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को हिदायत दी कि उनके इस निर्णय की प्रतिलिपि सभी हाई कोर्ट को व राज्यपालों के प्रमुख सचिवों को भेजें।

सरकार द्वारा उत्तर देये गये हैं तथा राज्य, अदालत ने साफ-साफ शब्दों में केन्द्र सरकार के सुझावों पर शीर्ष ही विचार कराने को राज्यपाल किसी विधेयक को, राष्ट्रपति के विचारार्थ, अपने पास

आवश्यक रूप से रख लेते हैं तथा राष्ट्रपति इसके बदले में अपनी सम्पत्ति एवं सहभागी रोक लेते हैं, तो राज्य के राज्यपाल इस प्रकार की कार्यवाही को अदालत की जानकारी में लाने के लिये स्वतंत्र होंगे।

अदालत ने कहा, “जो विधेयक राज्यपाल के पास जरूरत से ज्ञाता समय तक लम्बित हों, तथा राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को आवश्यक रखने में नेकानीयता के स्पष्ट अभाव से काम लिया हो, जैसा कि इस अदालत की जानकारी में लाने के लिये स्वतंत्र होंगे।”

अदालत ने यह आवश्यक रखने के बाबत कहा, “जो विधेयक उनके पास आता है, उस दिन से तीन महीने में राज्यपाल को विधेयक के बारे में निर्णय लेना होगा।”

अदालत ने यह आवश्यक रखने के बाबत कहा, “जहाँ राज्यपाल किसी विधेयक को भेजने में अवधि नहीं निर्धारित नहीं की गयी है।” अदालत ने राज्यपाल के दफ्तर के दुरुपयोग पर जबरदस्त नाराजगी व्यक्त की।

बैंच ने अपने निर्णय में कहा, “संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल द्वारा अपना कार्य सम्प्रभाव करने के लिये विधेयक उनके द्वारा प्रतिवाच के बाबत के बाबत, उनके निर्धारित नहीं की गयी है। कोई निर्धारित समय सीमा न होने के बाबत, अनुच्छेद 200 का ऐसा अर्थ नहीं निकाला जा सकता, जो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अदालती आदेश के बाद भी बकाया का भुगतान क्यों नहीं हुआ?

जयपुर, 12 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा सचिव को 21 अप्रैल को व्यावर्गत रूप से पेश होकर जवाब देने को कहा है। अदालत ने शिक्षा सचिव से पूछा है कि अदालती आदेश के बाबजूद याचिकाकार्ता का बकाया भुगतान क्यों नहीं किया गया।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि अदालती आदेश की पालना हो जाती है तो शिक्षा सचिव को हाजिर होने की जरूरत नहीं है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह की फ़ालीपीढ़ी ने यह आदेश कृष्ण अवतार गुता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

■ हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव को 21 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिये।

याचिका में अधिवक्ता त्रिपुरुष अदालती आदेश की पालना नहीं किया गया है और अधिवक्ता जितेन्द्र पूर्ण चाहे की गोपनीयता हो जाए तो अवधि अधिवक्ता की गोपनीयता हो जाएगी। अदालत ने यह आवश्यक रखने के बाबत कहा, “जो विधेयकों पर राज्यपाल की सम्पत्ति उसी तिथि को आज जानी चाहिए, जिस दिन वे विधेयक पर विवरित करते हुए हैं।” अदालत ने राज्यपाल के दफ्तर के दुरुपयोग पर जबरदस्त नाराजगी व्यक्त की।

बैंच ने अपने निर्णय में कहा, “संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल द्वारा अपना कार्य सम्प्रभाव करने के लिये विधेयक उनके द्वारा प्रतिवाच के बाबत, उनके निर्धारित नहीं की गयी है। कोई निर्धारित समय सीमा न होने के बाबत, अनुच्छेद 200 का ऐसा अर्थ नहीं निकाला जा सकता, जो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

**वोट बैंक पर आधारित राजनीति अब भारी पड़ रही है ममता बनर्जी को**

**वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में बंगाल के सीमांत जिलों में, विशेषकर मुर्शिदाबाद व मालदा में भारी दंगे, तीन व्यक्ति मारे गये**

-अंजन रांय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-

अंजन रांय, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब अपने प्रियोंगे ग्रामीण राजनीतिक विद्युतीयों ने यह आवश्यक रखने के कार्यवाही के बाबत विवरित करते हुए दिया।

पुलिस वाहन जलाये गये तथा पुलिसकर्मियों पर खुलकर आक्रमण हुए।

लगातार अल्पसंख्यक वोट को पुचाकार कर रखने की नीति से दंगाई बेफिक हुए। भारत व बांगलादेश के बीच सीमा पर तारबंदी के कई प्रयास हुए, पर, तृणमूल कांग्रेस के बाबूबलियों ने ऐसे सभी प्रयास विफल कर दिये और अब सीमा पार से बांगलादेश के जिहादी तत्व भी दंगा फैलाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

वक्फ संशोधन विधेयक का देश में कई स्थानों पर विरोध हो रहा है, पर, इतनी हिंसा, तोड़-फोड़, आगजनी व पुलिस पर आक्रमण की घटनाएं और कहीं नहीं हुई।

पर, अभी भी बंगाल की सरकार कोई बहाना बनाकर सख्त कार्यवाही से बच रही है।

पर, अब कहीं पुलिस में ही विद्रोह शुरू न हो जाए?

कोलकाता हाई कोर्ट ने तुरन्त केन्द्रीय रक्षा बल तैनात करने की बात कही, दंगाईयों पर नियन्त्रण करने के लिये।

पुलिस वाहन जलाये गये तथा पुलिसकर्मियों पर खुलकर आक्रमण हुए।

लगातार अल्पसंख्यक वोट को पुचाकार कर रखने की नीति से दंगाई बेफिक हुए। भारत व बांगलादेश के बीच सीमा पर तारबंदी के कई प्रयास हुए, पर, तृणमूल कांग्रेस के बाबूबलियों ने ऐसे सभी प्रयास विफल कर दिये और अब उनके द्वारा यात्रा की गयी है। इन घटनाओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो गृह मंत्री भी है, तथा सम्पूर्ण पुलिस विभाग की विफलता को उत्तराधारी कर रहे हैं। इन घटनाओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो गृह मंत्री भी है, तथा सम्पूर्ण पुलिस विभाग की विफलता को उत्तराधारी कर रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने राज्यपाल के दफ्तर के लिए दंगा फैलाने में दंगाई बेफिक हो रही है।

वक्फ संशोधन विधेयक का देश में कई स्थानों पर विरोध हो रहा है, पर, इतनी हिंसा, तोड़-फोड़, आगजनी व पुलिस पर आक्रमण की घटनाएं और कहीं नहीं हुई।

पर, अभी भी बंगाल की सरकार कोई बहाना बनाकर सख्त कार्यवाही से बच रही है।

पर, अब कहीं पुलिस में ही विद्रोह शुरू न हो जाए?

अपील की है, जिसके लिए राज्य के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)